

न्यायालय सहस्रीलदार कठुमार (अलखर) राजा

सरकार जरिमे रिपोर्ट पटवारी हल्का अधन बनाम अजावान सिंह पुत्र लक्ष्मी गुर्जर सिंह
प्रकरण अन्तर्गत धारा 01पलआर धुपट

प्रकसा संख्या 01

निर्णय दिनांक :- 7-8-19

प्रकाशनी प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पिसई
की आ.ख.न. 30 कुल रकबा 0:30 किसम जमीन अधन से 0:02 टीकर 9956
रकबा पर श्री अजावान सिंह पुत्र लक्ष्मी राजा पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर 0:02 टीकर 9956
काजा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का अधन द्वारा दिनांक 28-6-19
को उसके विरुद्ध कायमी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय लाईब
भू.अ.निरी. सौरभ के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया
जाकर अतिक्रमी अजावान सिंह पुत्र लक्ष्मी राजा जाति गुर्जर निवासी पिसई को भू-
राजस्थ अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील
कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी अजावान सिंह
पुत्र लक्ष्मी गुर्जर उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।
उक्त रकबा आ.ख.न. 30 रकबा 0:30 में से 0:02 टीकर 9956
रकबे किसम अधन है जो नियमन के योग्य नहीं है हिडाजा औरसायम का अतिक्रमित
रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 0:8 का
60 गुणा 4:00 रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांदा कायमी हेतु टीआरए को लिखा
जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी अधन भू.अ.निरी. सौरभ
को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में
सुनाया गया।

सहस्रीलदार
न्यायालय
कठुमार (अलखर) राजा

अतिरिक्त :- प. ए.

ग. न. सं. 4 के अंतर्गत 23 क्रम 1
दि. 20.9.20. पत्रावली काशी 41
ही कायमी की गई

[Signature]
5/3/2020
सहस्रीलदार न्यायालय
कठुमार (अलखर) राजा